

कार्यालय आदेश संख्या- 09/17

श्री मुहम्मद असलम खाँ मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, बलिया ने पक्षघात की बिमारी के कारण इयूटी करने में असमर्थ बताते हुए दिनांक-04.04.17 द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे मुचिधि/वाराणसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः श्री मुहम्मद असलम खाँ मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, बलिया को आवेदन तिथि से तीन माह की नोटिस के आधार पर दिनांक-04.07.17 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

उक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

कृते मंडल रेल प्रबन्धक(का)
वाराणसी
दिनांक-08.05.17

- संख्या-का/चि/पीसी/मु.असलम खाँ/2017
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1. मुचिधि/ वाराणसी
 2. वमविप्र/वाराणसी
 3. विविध बिल/एम.पी.पी.सेल
 4. वमचिधि/बलिया
 5. संबन्धित बिट निरीक्षक
 6. संबन्धित कर्मचारी
 7. कार्यालय आदेश पुस्तिका
 8. मंडल मंत्री नरमू, अजा, अजजा एसा. वाराणसी

कृते मंडल रेल प्रबन्धक(का)
वाराणसी